क्रम-संख्या–42(क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, सोमवार, 18 मार्च, 2024
फाल्गुन 28, 1945 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

लखनऊ

कठिनाइयां दूर करने हेतु आदेश संख्या– 1 / 2024 / 005

लखनऊ, दिनांक 18 मार्च, 2024

विषयः–बायोमास पेलेट्स की को–फायरिंग (सह–भस्मन) और इसकी लागत वसूली के लिए कार्यप्रणाली तैयार करने में आने वाली कठिनाइयां दूर करना।

आदेश

जबकि, उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी / सचिव / उत्पादन विनियम, 2019 / 343A लखनऊ दिनांक 11.09.2019 के माध्यम से 01 अप्रैल, 2019 से लागू हुआ;

और जबकि, इन विनियमों के तहत 'खर्च हुई ईंधन लागत' का अर्थ हैः ''कोयले की कुल लागत (को–फायरिंग के मामले में बायोमास सहित) लिग्नाइट या गैस को उत्पादन स्टेशन के अनलोडिंग स्थल पर पहुंचाने में हुआ खर्च और इसमें आधार मूल्य या इनपुट मूल्य, प्रक्षालन शुल्क, जहां भी लागू हो, परिवहन लागत (विदेशी या अंतर्देशीय या दोनों) और प्रबंधन लागत, तीसरे पक्ष के नमूने के लिए शुल्क और लागू वैधानिक शुल्क शामिल होंगे'';

और जबकि, बायोमास पेलेट्स की को–फायरिंग की लागत वसूली और बायोमास पेलेट्स की को–फायरिंग से उत्पन्न ऊर्जा और बायोमास हैंडलिंग उपकरण और को–फायरिंग आदि के लिए सुविधाओं पर अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की व्यवस्था में कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं;

और जबकि, आयोग ने बायोमास पेलेट्स की को–फायरिंग और इसकी लागत वसूली की कार्यपद्धति पर एक दृष्टिकोण पत्र तैयार किया और 24.01.2024 को अंग्रेजी और हिंदी में एक दैनिक अखबार में और इसकी वेबसाइट www.uperc.org पर भी प्रकाशित किया गया, जिसमें आखिरी तारीख 21.02.2024 तक विभिन्न संबंधितों से सुझाव / आपत्तियां / टिप्पणियां आमंत्रित की गयीं।

इसलिए, अब, आखिरी तारीख तक प्राप्त विभिन्न संबंधितों के सुझावों / आपत्तियों / टिप्पणियों पर विचार करते हुए और यूपीईआरसी नियम और शर्तों (उत्पादन शुल्क) विनियम, 2019 की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्ति, अर्थात् 'कठिनाइयां दूर करने की शक्ति' का प्रयोग करते हुए आयोग, कठिनाइयों को दूर करने के लिए यूपीईआरसी (उत्पादन शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 या विद्युत अधिनियम 2003, के साथ असंगत नहीं होने वाले तरीके से, बायोमास पेलेट्स की को–फायरिंग और इसकी लागत वसूली के लिए कार्यप्रणाली को स्पष्टता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित आदेश देता हैः–

1–संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इस आदेश को यूपीईआरसी (उत्पादन शुल्क के नियम और शर्तें) विनियम, 2019 (कठिनाई को दूर करना) पहला आदेश, 2024 कहा जा सकता है।

(2) यह इसकी अधिसूचना की तारीख से लागू होगा।

2–बायोमास पेलेट्स की को–फायरिंग में कार्यपद्धति– बायोमास पेलेट्स की को–फायरिंग और बायोमास पेलेट्स की को–फायरिंग से उत्पन्न ऊर्जा की लागत वसूली के लिए निम्नलिखित कार्यपद्धति अपनाई जाएगी:–

(क) कोयला आधारित बिजलीघरों में को–फायरिंग के माध्यम से बिजली उत्पादन के लिए बायोमास उपयोग के लिए विद्युत मंत्रालय (MOP) की अधिसूचना दिनांक 08.10.2021 की तारीख के अनुसार वाणिज्यिक संचालन के तहत, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत ताप बिजलीघरों के लिए, उक्त अधिसूचना कानून में बदलाव और MOP अधिसूचना दिनांक 08.10.21 के प्रासंगिक प्रावधानों का गठन करेगी और इसके संशोधन लागू होंगे। मिश्रित ईंधन की ऊर्जा चार्ज दर की गणना MOP द्वारा निर्दिष्ट सम्मिश्रण अनुपात या बायोमास की वास्तविक खपत, जो भी कम हो, के आधार पर बायोमास की खपत को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(ख) जहां बायोमास ईंधन का उपयोग कोयले के साथ मिश्रण के लिए किया जाता है, वहां बायोमास ईंधन की लागत की गणना उत्पादन स्टेशन के अनलोडिंग स्थल पर बायोमास की वितरित लागत के आधार पर की जाएगी, जिसमें लागू कर और शुल्क शामिल होंगे। बायोमास पेलेट्स के न्यूनतम मूल्य और उनकी विशिष्टताओं को MOP द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अपनाया जाएगा।

(ग) बायोमास पेलेट्स की को–फायरिंग से उत्पन्न ऊर्जा का अनुमान केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के आदेश दिनांक 18.02.2020 के अनुसार स्वतः संज्ञान याचिका संख्या 12/एसएम/2019 के अनुसार किया जाएगा।

(घ) बिजलीघर का मेरिट ऑर्डर प्रेषण (एमओडी) समय–समय पर संशोधित MOP अधिसूचना दिनांक 08.10.2021 द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

(ङ) उत्पादन कंपनी लाभार्थियों को कोयले के साथ बायोमास की को–फायरिंग के बारे में सूचित रखेगी। लाभार्थियों के अधिकृत प्रतिनिधियों को उस अवधि के दौरान निरीक्षण की अनुमति दी जाएगी जब बायोमास को को–फायर किया जा रहा हो।

(च) बिजलीघर बायोमास नीति के संदर्भ में तकनीकी व्यावहारिकता अध्ययन करने से पहले तकनीकी व्यावहारिकता और संचालन मापदंडों पर प्रभाव के संबंध में मूल उपकरण निर्माताओं (ओईएम) से परामर्श करेंगे। यदि ओईएम पहुंच योग्य नहीं है/लिखित रूप से इनकार करता है/उत्पादन कंपनी के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद सहयोग नहीं करता है, तो बिजली संयंत्र और उसके उपकरणों की गारंटी/वारंटी और सुरक्षा मानदंडों को प्रभावित किए बिना तकनीकी व्यावहारिकता तीसरे पक्ष द्वारा की जा सकती है। ओईएम की रिपोर्ट या तीसरे पक्ष की रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, और तकनीकी व्यावहारिकता अध्ययन को लाभार्थी के साथ उनकी टिप्पणियों और आम सहमति के लिए साझा किया जाएगा। अध्ययन की लागत लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।

(छ) कोयला आधारित ताप बिजलीघरों को, एक शर्त के रूप में, बिजलीघर के उपयोगी आर्थिक जीवन का आकलन करने, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा जारी तकनीकी विनिर्देश के अनुरूप कृषि अवशेष आधारित बायो–मास पेलेट्स की खरीद, सोर्सिंग की ज़रूरत होगी। और MOP द्वारा जारी किए गए मॉडल अनुबंध दस्तावेज़ के विरुद्ध आपूर्ति श्रृंखला बाधाएं, MOP आदि द्वारा जारी मानक एसओपी के अनुरूप फ्रेम साइट विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)। समय–समय पर जारी किए गए MOP निर्देशों के संदर्भ में पेलेट्स की खरीद की जिम्मेदारी बिजली संयंत्रों की होगी।

(ज) उपर्युक्त पहलुओं के मूल्यांकन के बाद, यदि छूट/रियायत की ज़रूरत होती है, तो बायोमास को–फायरिंग से छूट/रियायत मांगने के लिए बिजलीघरों के अनुरोध की जांच करने के लिए निर्धारित दिशानिर्देश/प्रक्रिया के अनुसार बिजलीघर सीईए से संपर्क कर सकता है।

(झ) बिजलीघर पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाएंगे, जैसे बायोमास पेलेट्स प्रबंधन और फीडिंग प्रणाली, भंडारण सुविधाओं का निर्माण, बायोमास की को–फायरिंग को सक्षम करने के लिए मौजूदा उपकरण या सिस्टम में कोई रेट्रोफिटिंग या संशोधन आदि। अतिरिक्त पूंजीगत व्यय को अतिरिक्त पूंजीकरण माना जाएगा, जो प्रासंगिक नियंत्रण अवधि लागू होने के समय आयोग द्वारा विवेकपूर्ण जांच के अधीन होगा।

आयोग के आदेश द्वारा,

शैलेन्द्र गौर,

सचिव।

THE UTTAR PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

LUCKNOW

Removal of difficulties Order No. 1/2024/005

***Dated Lucknow*, *March* 18, 2024**

SUBJECT :- Removal of difficulties to frame methodology for Co-firing of Biomass Pellets and its cost recovery.

ORDER

WHEREAS, the Uttar Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Generation Tariff) Regulation,2019 came into effect from April 01, 2019, *vide* Notification no. UPERC/Secy./ Generation Regulations, 2019/343A, Lucknow dated 11.09.2019;

AND WHEREAS, 'Landed Fuel Cost' under these Regulations means: "the total cost of coal (including Biomass in case of Co-firing) lignite or the gas delivered at the unloading point of the generating station and shall include the base price or input price, washery charges wherever applicable, transportation cost (overseas or inland or both) and handling cost, charges for third party sampling and applicable statutory charges";

AND WHEREAS, difficulties have arisen in the cost recovery of Co-firing of Biomass Pellets and energy generated out of Co-firing of Biomass Pellets and also in treating additional capital expenditure on Biomass handling equipment and facilities for Co-firing *etc*;

AND WHEREAS, the Commission prepared an approach paper on Methodology for Co-firing of Biomass Pellets and its cost recovery and published in one daily newspaper in English and Hindi on 24.01.2024 & also on its website www.uperc.org, inviting suggestions/objections/comments from various stakeholders by due date of 21.02.2024;

NOW, THEREFORE, considering suggestions/objections/comments from various stakeholders, received within the due date and in exercise of the power conferred by section 11 of UPERC Terms and Conditions of Generation Tariff) Regulation,2019, namely, 'Power to Remove Difficulties', the Commission, hereby makes the following order, to provide clarity to the methodology for Co-firing of Biomass Pellets and its cost recovery, in a manner not inconsistent with UPERC (Terms and Conditions of Generation Tariff) Regulation, 2019 or the Electricity Act,2003, to remove the difficulties:-

1. **Short title and commencement** (1) This order may be called the UPERC (Terms and Conditions of Generation Tariff) Regulation,2019 (Removal of difficulty) first order,2024.

(2) It shall come into force on the date of its notification.

2. **Methodology in case of Co-firing of Biomass Pellets**:- Following methodology shall be adopted for cost recovery of Co-firing of Biomass Pellets and energy generated out of Co-firing of Biomass Pellets:-

(a) For Thermal Generating Stations, under section 62 of Electricity Act, 03, under commercial operation as on date of Ministry of Power (MOP) notification dated 08.10.2021 for Biomass Utilization for power generation through Co-firing in Coal Based Power Plants, the said notification would constitute a Change in law and the relevant provisions of MOP Notification dated 08.10.21 and its amendments shall be applicable. The energy charge rate of the blended fuel shall be worked out considering consumption of biomass based on blending ratio as specified by MOP or actual consumption of biomass, whichever is lower.

(b) Where biomass fuel is used for blending with coal, the landed cost of biomass fuel shall be worked out based on the delivered cost of biomass at the unloading point of the generating

station, inclusive of taxes and duties, as applicable. The benchmark price of biomass pellets and their specifications shall be adopted as per guidelines issued by MOP.

(c) The energy generated by Co-firing of biomass pellets shall be estimated in accordance with Central Electricity Regulatory Commission's (CERC) Order dated 18.02.2020 in *Suo Motu* Petition No. 12/SM/2019.

(d) Merit Order dispatch (MOD) of the power plant shall be governed by MOP notification dated 08.10.2021 as amended from time to time.

(e) Generating company shall keep beneficiaries informed about the Co-firing of Bio- mass with coal. Authorized representatives of the beneficiaries shall be allowed inspection during the period when biomass is being Co-fired.

(f) Generating Power Plants shall consult the Original Equipment Manufacturers (OEM) regarding technical feasibility and impact on operation parameters before undertaking the technical feasibility study in terms of Bio-mass Policy. In case the OEM is not accessible/ refuses in writing/ doesn't Co-operate despite best efforts of the generating company, technical feasibility may be carried out by third party without affecting guarantee/warrantee and safety norms of power plant & its equipments. The report of OEM or the third party report, as the case may be, and technical feasibility study shall be shared with the beneficiary for their comments and arriving at consensus. The cost of the study shall be borne by the beneficiary (ies).

(g) Coal based thermal power plants, as a prerequisite, would be required to assess useful economic life of plant, procurement of Agro residue-based Bio-mass pellets in line with technical specification issued by Central Electricity Authority (CEA), sourcing, and supply chain constraints against Model Contract document issued by MOP, frame site specific standard operating procedure (SOP) in line with standard SOP issued by MOP *etc*. The responsibility of procuring pellets in terms of the MOP directives issued from time to time shall be that of the Power Plants.

(h) Subsequent to the assessment of above aspects, the plant can approach CEA as per Guidelines/procedure prescribed for examining the request of the power plants for seeking exemption/relaxation from bio-mass Co-firing, in case exemption/ relaxation is required.

(i) Generating Stations shall estimate the capex *viz*., Biomass pellet handling & Feeding system, construction of storage facilities, any retrofitting or modifications in existing equipment or system for enabling Co-firing of Biomass, *etc*. The additional capex would be treated as additional capitalization, subject to prudence check by the Commission at the time of True-up of the relevant control period.

By Order of the Commission,
SHAILENDRA GAUR,
Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 12 राजपत्र–2024–(39)–588 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 1 सा0 ऊर्जा–2024–(40)–100+500= प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
12 RPH data 8e (Urja-2020 Folder)